

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 09/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल दास -विक्रेता व मालिक-
मै० गोपाल प्रोविजन स्टोर, 3-एफ 17 जवाहरनगर, सिहाग हॉस्पिटल रोड, श्रीगंगानगर

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,52

निर्णय

दिनांक : 20.02.2024




सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.05.2023 को शाम समय 04.10 पी.एम. को मै. गोपाल प्रोविजन स्टोर, 3 एफ जवाहरनगर, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल दास (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान विक्रेता के पास रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (सरस ब्राण्ड) 500-500 एमएल के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा संस्थान में 500-500 एमएल के 10 बॉक्स खाद्य पदार्थ घी (सरस ब्राण्ड) को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। घी (सरस ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते घी (सरस ब्राण्ड) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल दास एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध घी (सरस ब्राण्ड) 500-500 एमएल के 4 बॉक्स को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा घी (सरस ब्राण्ड) का नगद भुगतान 1104/- रुपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (सरस ब्राण्ड) को एकरूप करके चार सूखी साफ व खाली शीशियों में बराबर भागों में बांटकर पैक पर 4 नमूने तैयार कर उस पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1827 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर


श्री जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1827 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विशाल अग्रवाल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./823/Act/2023/823 Dated 12-06-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1827 Unsafe-Food & Misbranded Food** होना पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल दास को जांच की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होकर श्री विशाल अग्रवाल विक्रेता एवं मालिक द्वारा आवेदन फार्म संख्या 8 में पुनः जांच हेतु आवेदन किया।

खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा फार्म 8 आवेदन करने पर नमूना जांच रेफरल फूड लैब, मैसूर को अभिहित अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाया गया। रेफरल फूड लैबोरेट्री, मैसूर की रिपोर्ट क्रमांक:- FT/AQCL/FSSA(703F)/2023 Dated 13-11-2023 के अनुसार खाद्य नमूना **K-1827 Substandard & Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल दास अग्रवाल, मै. गोपाल प्रोविजन स्टोर, 3 एफ, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर घी (सरस ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51, 52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 31.01.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नंबर 3 एफ 17 जवाहर नगर तह. व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मेसर्स गोपाल प्रोविजन स्टोर, दुकान 3 एफ 17 जवाहरनगर, सिहाग होस्पिटल रोड, श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 24/183 दिनांक 05.02.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में घी की जांच की गई तो घी सबस्टेंडर्ड और मिसब्रांडेड फूड पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त घी में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया


श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया घी (सरस ब्राण्ड) का सैम्पल K-1827 जांच रिपोर्ट क्रमांक:- FT/AQCL/FSSA(703F)/2023 Dated 13-11-2023 द्वारा **Substandard & Misbranded-Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त घी में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample is "Substandard" & Misbranded as defined under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006 as it does not conform to the standard laid down for Ghee under the provision of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations 2011 and Food Safety and Standards [Prohibition & Restriction On Sales] Regulation -2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल दास को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री विशाल अग्रवाल पुत्र श्री गोपालदास को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 के अन्तर्गत राशि रुपये 20,000-00 (अखरे रुपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
श्रीगंगानगर